

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	सिवनी जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घंसौर—केदारपुर मुख्य मार्ग से चरगांव उमरडीह—बखारी मार्ग एवं पुल—पुलिया के निर्माण हेतु 2.59 हेक्टेयर वनभूमि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, सिवनी को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:— 04 / 09 / 2023

स्थान:— भोपाल।

Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal